राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

(जी–3, राजमहल रेजीडेन्शियल ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांक : प.1(क)(44)कार्मिक / आर.एम.एस. / डी.एल.बी / 15 / 16851 दिनांक : 28-12-16

आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 16258–483 दिनांक 28.11.16 द्वारा निर्देश दिये गये थे कि स्वच्छ सर्वेक्षण, 2017 माह जनवरी, 2017 से 29 अमृत शहरो में प्रारम्भ हो रहा है तथा मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान 66 शहरी क्षैत्रो में दिनांक 09.12.2016 से प्रारम्भ हो चुका है। इसके साथ ही विभाग द्वारा 33 शहरों को दिसम्बर, 2016 से पूर्व खुले में शौच से मुक्त किये जाने तथा अमृत शहरों को जून, 2017 से पूर्व खुले में शौच से मुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः राज्य की निकायों में कार्यरत सभी आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी / अन्य वरिष्ठ अधिकारी / तकनीकी स्टाफ को निर्देशानुसार पुनः निर्देशित किया जाता है कि वे अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहे तथा स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियों पूर्ण करें। चूंकि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान दिनांक 09.12.2016 से प्रारम्भ हो चुका है। अतः कोई भी आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी सम्बन्धित जिला कलक्टर की अनुमति के बगैर मुख्यालय नही छोडेंगे एवं इसकी सूचना निदेशालय को प्रेषित करेंगे।

Sd/-

(एम0 पी0 मीना)

अतिरिक्त निदेशक

क्रमांक:प.1(क)(44)कार्मिक / आर.एम.एस. / डी.एल.बी / 15 / 16852-17082 दिनांक : 28-12-16

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
03. उप निदेशक (क्षैत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
04. आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी / वरिष्ठ निकाय अधिकारी / तकनीकी स्टाफ, नगर निगम / परिषद / पालिका, समस्त राजस्थान।
05. सुरक्षित पत्रावली।

(एम0 पी0 मीना)

अतिरिक्त निदेशक